समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

विविध /16 जवलपुर विविध- 9037-I-16

श्री अमर सिंह गोंड आयु 52 वर्ष पिता श्री रतीराम गौड निवासी –29, ग्राम टीगन थाना बरगी तहसील व जिला जवलपुर म.प्र

.......आवेदक

विरूद्ध

1. श्री कोशिक शर्मा पिता श्री विष्णु प्रसाद शर्मा निवासी सिद्धेश्वर मंदिर के पास गंगा नगर ,गढा जवलपुर म.प्र.।
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जवलपुर म.प्र

दिनांक 28.7.16 को श्री सुनील सिंह जादौन अभि. द्वारा प्रस्तुत। 28.7.16

आवेदन पत्र वास्ते म.प्र भू–राज्य संहिता 1959 की धारा 32 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 116/अ–21/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध निगरानी 2196/एक/2016 प्रस्तुत की गई जिसमे दिनांक 22.7.2016 से निगरानी स्वीकार की जाकर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई ।
2. यहकि, श्रीमान महोदय द्वारा निगरानी 2196/एक/2016 मे पारित आदेश दिनांक 22.7.2016 से निगरानी स्वीकार की जाकर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई परन्तु त्रुटिपूर्ण आदेश में खसरा नंबर 77/2 अंकित हो गया है जिसे 77/1 सुधार किया जाकर पढा जाना न्याय संगत है।
3. यहकि, श्रीमान न्यायालय के आदेश में टाइटल नेम मे निगरानी क 2195/एक/2016 अंकित हो गया है। जो कि निगरानी क 2196/एक/2016 है जिसे सुधार किया जाना न्याय संगत है। एवं आदेश भी स्केन होने पर दुसरे प्रकरण के पेज संलग्न हो गये है जिसे भी न्याय हित में सुधार किया जाना न्याय संगत है। अंतः निम्न संशोधन किया जानाँ न्याय संगत है–
   1. आदेश दिनांक 22–7–2016 के प्रत्येक पृष्ठ के टोप पर निगरानी क 2195/एक/2016 अंकित हो गया है जिसे सुधार कर प्रत्येक पृष्ठ पर निगरानी क 2196/एक/2016 अंकित किया जाना न्याय संगत है।
   2. आदेश 22.7.16 के पैरा 2 ,पैरा 4 एवं पैरा 5 में भूमि खसरा न 77/2 अंकित हो गया है जिसे सुधार कर भूमि खसरा नं. 77/1 सुधार किया जाना न्याय संगत है ।
4. यहकि, उक्त प्रकरण में आदेश दूसरे प्रकरण का संलग्न हो गया है जिसे सही सुधार कर सही आदेश संलग्न किया जाना न्याय संगत है।
5. यहकि, अन्यु विन्दु सुनवाई के समय उठावे जावेगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन किया जाना न्याय संगत है। अन्य सुविधा जो न्याय संगत हो कृपा प्रदान करें।

आवेदक 28.7.16

अमर सिंह गौड

दिनांक 27.7.16

द्वारा अभिभाषक सुनील सिह जादौन

एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9037--एक/16 जिला --जबलपुर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
1.8.16	आवेदक अधिवकता श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा आवेदन पत्र वास्ते म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 2196--एक/16 के स्थान 2195–एक/16 प्रत्येक पेज पर अंकित हो गया है। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 22.7.16 के पैरा 2 पैरा 4 एवं पैरा 5 में भूमि खसरा न0 77/2 अंकित हो गया है जिसे सुधार कर 77/1 किया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण कमांक 2195–एक/16 के स्थान पर निगरानी 2196–एक/16 प्रत्येक पेज पर पढ़ा जावे। तथा पेरा 2, पैरा 4 एवं पैरा 5 में भूमि खसरा न0 77/2 के स्थान पर 77/1 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग माना जावेगी। सदस्य	

183

~~अपील 96 - I - 16~~

न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक ....निग 2196 - I - 16..... /2016

पुनरीकक्षणकर्ता/आवेदक – **श्री अमर सिंह गौंड़ उम्र 52 वर्ष पिता श्री रतीराम गौंड़**
निवासी– 29, ग्राम टीगन थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 2190 1591 0336

विरुद्ध

उत्तरवादी/अनावेदक – **(1) श्री कौशिक शर्मा उम्र 38 वर्ष पिता श्री विष्णु प्रसाद शर्मा**
निवासी– सिद्धेश्वर मंदिर के पास, गंगा नगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 8042 8478 8661
(2) मध्यप्रदेश शासन

श्री अनील सिंह ... द्वारा आज दि. 4-7-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4-7-16

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन राजस्व प्रकरण क्रमांक 116/अ–21/2015–16 अमर सिंह गौंड़ विरुद्ध श्री कौशिक शर्मा ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है ।

2016

रिविजन के तथ्य

1. यह कि रिविजनकर्ता आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है तथा ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 36/28 रा.नि.मं. जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 77/2 रकबा 0.400 हैक्टे.(एक एकड़) भूमि सिंचित/असिंचित भूमि के मालिक काबिज स्वामी है तथा तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है ।

2. यह कि आवेदक द्वारा अपनी उपरोक्त काश्तकारी भूमि विक्रय करने का अनुबंध पत्र अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के मध्य दिनांक 20.08.2015 को किया था एवं उक्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन धारा 165 (6) सहपठित खंड 2 म.प्र. भू.रा.संहिता के अंतर्गत माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर के समक्ष दिनांक 01.02.2016 को प्रस्तुत किया था । जिसका प्रकरण क्रमांक 116/अ–21/2015–16 था । उक्त आवेदन पर दिनांक 24.05.2016 को तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 06.06.2016 को प्रकरण आदेश हेतु नियत किया जाकर दिनांक 06.06.2016 को आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक विक्रय की गई भूमि के अतिरिक्त ग्राम टीगन प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 126 रकबा 1.960 हैक्टे., खसरा नंबर 279 रकबा 0.250 हैक्टे., खसरा नंबर 285 रकबा 2.340 हैक्टे., खसरा नंबर 422 रकबा 0.160 हैक्टे., खसरा नंबर 396 रकबा 0.430 हैक्टे., इस प्रकार कुल रकबा 5.14 हैक्टे. याने बारह एकड़ पचासी डिसमिल भूमि सिंचित/असिंचित भूमि शेष बच रही है जिसका आवेदक पूर्ण मालिक स्वामी होकर काबिज है । शासकीय अभिलेखों में उक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है ।

अमरसिंह

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2195/1/2016 , जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
22.7.16	यह निगरानी कलेक्टर जवलपुर द्धारा प्रकरण कमाक 116/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06–06–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 की धारा 50 कें अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जवलपुर को आवेदन पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 36/28 रा.नि.मं. जवलपुर –2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 77/2 रकवा 0.400है0 उबड –खाबड होने एंव अन –उपजाउ होने से भूमि को विकय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती एवं बैक का लोन चुकता करने हेतु भूमि को विकय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 116/अ–21/2014–15 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक के आवेदन में अंकित तथ्यो की जॉच कराकर आदेश दिनांक 06.06.2016 पारित किया एंव आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण खारिज कर दिया इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्धारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– निगरानी मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।	

4— आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 77/2 रकवा 0.400 हे. के विकय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि उसके पास विकय की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त ग्राम टीगंन प.ह.न.40 एवं ग्राम चनेरी प.ह.न. 39 मे कुल 5.14 हे. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विकय की जाने वाली भूमि के विकय उपरांत वह भूमिहीन नही होगा एंव भूमि विकय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बनायेगा इसलिये भूमि विकय का प्रयोजन भी सदभावना पर आधारित है जिसके कारण विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नही आती है। वैसे भी आवेदक द्वारा विकय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है, एंव तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकय की अनुमति दिये जाने मे किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नही है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0--08--माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि —

(1)भू—राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0)--धारा 165(7—ख)तथा 158 (3) का लागू होना —उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये —बिना अनुमति के भूमि का अंतरण—उपंबधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया —उपबंध आकर्षित नही होते—भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन—का सिद्धात —नवीन उपबंध का अंतःस्थापन

निग०-2195-3/16
जबलपुर

–भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 165(7–ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंर्जित किये –भूमि का विकय कर सकता है – कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 116/अ–21/2014–15 अपील मे पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 36/28 रा.नि.मं. जवलपुर –2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 77/2 रकवा 0.400 है0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1–भूमि का कय–विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2–भूमि का कय –विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3–केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य